पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निविदा विज्ञापन क्र. 02 / भंडार / क्रय / 2023 बिलासपुर, दिनांक 11 /05/ 2023

शुद्धि पत्र

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा / हाउस कीपिंग / श्रमिक की आपूर्ति हेतु खुली निविदा क्र. 01 / भंडार / क्रय / 2023 / बिलासपुर दिनॉक 01 / 04 / 2023 जारी किया गया हैं। जारी निविदा के अनिवार्य अर्हता संबधी प्रपत्रों में आंशिक संशोधन किया गया हैं। अतः समस्त निविदाकर्ता आंशिक संशोधन पश्चात जारी आवेदन (निविदा फार्म) में ही निविदा प्रस्तुत करें संशोधित निविदा प्रपत्र ही स्वीकार किया जायेगा। इस शुद्धि पत्र के परिपेक्ष्य में अब निविदा विक्रय की अंतिम तिथि 22 / 05 / 2023 सायं 05.00 बजे तक, निविदा जमा करने की तिथि 23 / 05 / 2023 प्रातः 11.00 बजे तक, एवं निविदा खोले जाने की तिथि 23 / 05 / 2023 दोपहर 12.00 बजे होगी। अन्य विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट **www.pssou.ac.in** से प्राप्त की जा सकती है।

कुलसचिव

शुद्धि पत्र

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा/हाउस कीपिंग एवं श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा क्रमांक 01/भंडार/क्रय/2023 बिलासपुर दिनॉक 01/04/2023 जारी किया गया है। जिसका निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.pssou.ac.in,** पर उपलब्ध हैं। उक्त प्रपत्र के अनिवार्य अर्हता के कंडिका क्रमांक 10 पर आंशिक संशोधन किया गया है, एवं नवीन कंडिका क्रमांक 13 जोड़ा गया हैं, जो निम्नानुसार है:–

कंडिका क्रमांक :– 10 – (पी. एच. क्यू रायपुर)
(फार्म में मुद्रित) छ. ग. मकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अनुसार पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र।

संशोधन पश्चात :–

कंडिका क्रमांक :– 10.1 छ. ग. राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियम) नियम 2008 के अनुसार पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र संलग्न करे। (पी. एच. क्यू रायपुर द्वारा जारी)

कंडिका क्रमांक :– 10.2 छ. ग. मकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अनुसार पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र।

कंडिका क्रमांक :– 13 एजेंसी का गार्ड ट्रेनिंग सेंटर विवरण।

अतः निविदाकर्ता उपरोक्त संशोधित निविदा प्रपत्र (फार्म) में ही अपना निविदा प्रस्तुत करें। संशोधित प्रारूप ही मान्य किया जायेगा।

कुलसचिव
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ, बिलासपुर

G:/BHANDAR W/1APR – 31 MARCH 2023-24/SECURTIY HOUSE KEEPING TNEDER/2023-24/SECURITY HOUSE KEEPING 1ST TIME –ADVERTISMENT LETTER 2023-24/ABHINANDAN

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर फोन 07752–240712, 240752
Website: www.pssou.ac.in, Email:registrar@pssou.ac.in

निविदा–प्रपत्र

आवेदन क्रमांक

सुरक्षा / हाउस कीपिंग / श्रमिक व्यवस्था संबधित
खुली निविदा
की शर्तें एवं प्रपत्र

निविदा विक्रय की अंतिम तिथि	22 / 05 / 2023 सायं 05.00 बजे तक।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	23 / 05 / 2023 प्रातः 11.00 बजे तक।
निविदा खोलने की तिथि	23 / 05 / 2023 दोपहर 12.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.1000 / –
अमानत राशि रू. 500000 / –

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

कोनी बिरकोना पहुँच मार्ग ग्राम, पोस्ट बिरकोना फोन 07752–240712, 240752

Website: www.pssou.ac.in, Email:registrar@pssou.ac.in

निविदा प्रपत्र

क्रमांक :

प्रति,

कुलसचिव,
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

महोदय,

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में सुरक्षा / हाउस किपिंग / श्रमिक व्यवस्था हेतु बुलाई गई खुली निविदा क्रमांक .... बिलासपुर, दिनांक .... के संदर्भ में आवेदन प्रस्तुत हैं, तथा मैं वचन देता हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं विश्वविद्यालय द्वारा इस निविदा प्रपत्र में तथा संदर्भित निविदा विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित श्रमिक ठेके की समस्त शर्तों का पालन करते हुए श्रमिक का कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत की राशि .... (..) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक ....बैंक.. का है तथा कुलसचिव, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को देय है संलग्न है। मुझे वर्तमान में श्रमिक व्यवस्था क्षेत्र में कार्य का अनुभव है।

1. फर्म का नाम, पता ....
....
....

2. यदि कोई पार्टनर हो ,तो उसका नाम पता यदि ....
यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म है तो व्यक्तिगत
पंजीयन प्रमाण –पत्र की प्रति संलग्न की जाए। ....
यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म नहीं है तो व्यक्तिगत
भागिता पत्र की नोटरी से सत्यापित सत्य प्रतिलिपि ....
संलग्न की जाए।

3. पूर्व कार्यों का अनुभव का विवरण संबंधित संस्थान का ....
नाम – पता एवं परफॉरमेन्स रिपोर्ट सहित देंवें।
(अलग शीट पर विवरण संलग्न करें) ....

4. वर्तमान में कितनें श्रमिक
कर्मचारी आपकी ठेकेदारी में हैं ? ....

5. वर्तमान में जहाँ कार्य चल रहा हो ,उस संस्थान का ....
नाम व पता (समर्थन में पत्र/आदेश की प्रति
संलग्न की जावे) ....

6. श्रमिक ठेके संबंधी जीवित लेबर लायसेंस का विवरण ....
(लायसेंस के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

7. भविष्य निधि कोड नं. एवं
(प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) ....

8. **G. S. T.** पंजीयन क. क्रमांक ....
ख. स्थान ....

9. साल्वेन्सी सर्टिफिकेट(न्यूनतम दस लाख ....
प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

10.1 छ.ग.राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियम) नियम 2008 के अनुसार पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र संलग्न करें। (पी.एच.क्यू. रायपुर द्वारा जारी) ....

10. 2 छ.ग.मकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अनुसार पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र। ....

11. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ....
कर्मचारी राज्य बीमा का एमप्लाई कोड ....

12. आयकर समाशोधन प्रमाण–पत्र । ....

13. एजेंसी का गार्ड ट्रेनिंग सेंटर विवरण ....

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण व सही है तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया हैं।

टीपः–

01. अभिलेखों की छायाप्रतियों को निविदाकार द्वारा आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपना पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए संलग्न प्रमाण–पत्र की छायाप्रतियों का स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। स्वयं द्वारा सत्यापन व हस्ताक्षर के नीचे निविदाकार को अपना पूर्ण नाम एवं तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।

02. निविदाकर्ता सुरक्षा एजेंसी का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर होने की स्थिति में स्थानीय पते/संपर्क नंबर उल्लेखित किया जाए।

स्थान	....	हस्ताक्षर
दिनांक	....	पूरा नाम ....
दूरभाष क्र.	....	मुहर
मोबाईल क्र.	....	
फैक्स नंबर	....	

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
कोनी–बिरकोना पहुँच मार्ग ग्राम, पोस्ट बिरकोना फोन 240712, 240752
Website: www.pssou.ac.in, Email:registrar@pssou.ac.in

निविदा के नियम एवं शर्तें :–

निविदा हेतु तीन लिफाफे "अ" "ब" "स" के अनुसार लिफाफा "अ" में अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि लिफाफा "ब" में तकनीकी संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज एवं लिफाफा "स" में दर सूची रखकर उसे एक बड़े लिफाफा में डालकर प्रस्तुत करें । लिफाफा "अ" एवं "ब" के संतोषजनक पूर्ण होने पर ही लिफाफा "स" दर सूची खोली जावेगी।

(क) लिफाफा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं का किसी भी परिस्थिति में विचार/स्वीकार नहीं किया जावेगा। डाक में होने वाले किसी तरह के विलंब के लिए वि. वि. जवाबदेह नहीं होगा।

(ख) निविदाएँ निर्धारित तिथि / /2023 को वि. वि. कार्यालय में दोपहर 12:00 बजे खोलीं जावेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता (स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि लिखित प्राधिकार होने पर) उपस्थित रह सकते हैं।

अभिलेखों की सूची –

01 सुरक्षा/हाऊस कीपिंग एजेंसी का ई.पी.एफ. का रजिस्टेशन एवं **ESIC** सर्टिफिकेट दोनों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

02 सुरक्षा निधि राशि **रू 5,00,000.00 (पॉच लाख रूपये)** मात्र जमा करना अनिवार्य हैं यह राशि कुलसचिव, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के नाम पर देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय होगी/निविदा स्वीकृत होने की दशा में यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित हो जावेगी।

03 श्रम विभाग द्वारा जारी लेबर लायसेंस एवं फर्म के पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

04 निविदाकार को सुरक्षा/हाऊस कीपिंग कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र/कार्य आदेश संलग्न करें।

05 सुरक्षा/हाऊस कीपिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक टर्न ओवर तीन वर्षो में औसत **50 लाख** रूपये प्रतिवर्ष रहा हो। सी.ए.अंकेक्षित प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।

06 **G. S. T. Registration Cerficate** जमा करना अनिवार्य होगा।

07 पेन कार्ड संलग्न करना होगा, एवं विगत 3 वर्षो का आयकर विवरणिका संलग्न करना अनिवार्य होगा।

08 न्यूनतम राशि 10 लाख रूपये का साल्वेन्सी सर्टिफिकेट।

09 छ. ग. मकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अनुसार पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10 **छ. ग. राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियम) नियम 2008 के अनुसार पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र संलग्न करें। (पी. एच. क्यू. रायपुर द्वारा जारी)**

सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध हेतु बाध्य नियम व शर्ते :–

निविदाकर्ता श्रमिक एजेंसी को वि. वि. के साथ संपूर्ण सुरक्षा की गांरटी का लिखित अनुबंध करना होगा । निविदाकार को वचन पत्र देना होगा कि वह केंद्र, राज्य शासन के श्रम अधिनियम का पालन करेगा एवं उसके द्वारा बाल, वृद्ध, असाध्य रोगी को गार्ड/श्रमिक के रूप में नियोजित नहीं किया जावेगा ,साथ ही जिसकी पुलिस रिपोर्ट ठीक नहीं होगी, आठवीं कक्षा से कम पढ़ा लिखा होगा, के रूप में नियोजित नहीं किया जावेगा।

1. निविदा जमा करने का तात्पर्य यह लगाया जावेगा कि निविदाकार को विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध हेतु निर्धारित की गई सभी शर्तें मंजूर हैं। निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र में अतिरिक्त लिखी जाने वाली कोई भी शर्त वि.वि. को मान्य नहीं होंगी।
2. सफल निविदाकर के देयक से टी.डी.एस. की कटौती वि.वि. द्वारा प्रचलित दर से की जावेगी।
3. आवश्यकतानुसार निर्धारित संख्या से अधिक गार्ड/श्रमिक की माँग किए जाने पर सफल निविदाकार उपलब्ध करायेगा।
4. सफल निविदाकार द्वारा नियोजित गार्ड/श्रमिक की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता एवं अनुभव योग्यता की जानकारी की सूची सहित उनके छाया चित्र, आचरण प्रमाण–पत्र, एवं स्वास्थ्य प्रमाण वि.वि. में जमा कराया जावेगा। निविदाकार द्वारा सुरक्षा/हाऊस कीपिंग मे लगे गार्ड/श्रमिक में से जब कभी किसी को हटाया जावे या नया नियोजित किया जावे तो उसकी जानकारी विश्वविद्यालय को अवश्य दी जावेगी। बिना उक्त सूचना के कर्मचारी को रखना या बदलना अनुबंध को रद्द करने का आधार होगा।
5. सफल निविदाकार द्वारा नियोजित गार्ड/श्रमिक को राज्य शासन/श्रमिक विभाग द्वारा उनके वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा। इस संबंध में अगर कोई आपत्ति आती हैं, तो उसके लिए सफल निविदाकार उत्तरदायी होगा ।
6. सफल निविदाकार द्वारा नियोजित गार्ड/श्रमिक के लिए नियमानुसार ई. पी. एफ. की राशि प्रतिमाह जमा की जावेगी तथा पूर्व माह का चालान / ECR प्रस्तुत करने पर ही देयक भुगतान किया जावेगा।
7. सफल निविदाकार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने एवं गार्ड/श्रमिक के सोते हुए पाए जाने पर/चोरी की घटना होने पर विश्वविद्यालय द्वारा एजेंसी को दिए जाने वाले भुगतान से उसी के अनुरुप भुगतान काटने का अधिकार वि. वि. के पास सुरक्षित होगा।

8. आकस्मिक दुर्घटना/धन/जन हानि, अन्य/आपदा इत्यादि की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदाकर्ता/ठेकेदार अपने श्रमिक का समूह बीमा पॉलिसी की जिम्मेदारी स्वयं निर्वाह करेंगे।

9. सफल निविदाकार कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् किन्तु निविदा अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि कार्य छोड़ देता है तो उसके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति की **राशि रु. 500000/**—विश्वविद्यालय द्वारा जप्त कर ली जावेगी साथ ही निकटतम द्वितीय निविदाकार की निविदा स्वीकृत कर उससे कार्य कराया जा सकेगा, और इन दोनों निविदाकारों के बीच की राशि का जो अंतर होगा वह राशि कार्य छोड़ने वाले निविदाकार से वसूल की जा सकेगी।

10. **L – 1 फर्म को आदेश जारी किये जाने के पूर्व नियमानुसार आदेशित कुल राशि के 03 % (तीन प्रतिशत) राशि सुरक्षा निधि के रूप में D. D. के माध्यम से जमा करना होगा।**

11. सफल निविदाकार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें अवगत किया जावेगा फिर भी यदि कार्य में सुधार नहीं आता है तो विश्वविद्यालय द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर उसकी निविदा समाप्त की जा सकेगी, जिसके फलस्वरुप निरस्त की गयी निविदा के एवज में निविदाकार किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

12. **किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में कुलपति, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) का निर्णय अंतिम होगा एवं निविदाकार पर बाध्यकारी होगा।**

13. निविदा अमान्य होने की स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा आवेदन के साथ जमा अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जावेगा।

14. विश्वविद्यालय परिसर के आसपास संवेदनशील अथवा विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर श्रमिक एजेंसी को अपने स्वयं के विवेक से विश्वविद्यालय परिसर तथा विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सुरक्षा के पक्ष में निर्णय लेते हुए कार्यवाही करनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा एजेंसी स्थानीय पुलिस की मदद लेने को स्वतंत्र होगी एवं पुलिस में रिपोर्ट करने की कार्यवाही भी सुरक्षा एजेंसी करेगी तथा वि.वि. को भी इससे अवगत कराएगी।

15. श्रमिक एजेंसी को विश्वविद्यालय प्रमुख के आदेशों का पालन करना होगा तथा विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रमुख अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

16. **प्रस्तुत निविदा एक वित्तिय वर्ष के लिये वैध होगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त एक–एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु यह समयवृद्धि कुल 03 वर्ष की सीमा से अधिक के लिए नहीं होगा।**

17. न्यूनतम पारिश्रमिक, EPF, ESIC एवं GST शासन निर्देशानुसार देय होगा। उपरोक्त की दरों पर परिवर्तन होने पर स्वतः लागू होगा।

18. प्रत्येक माह का बिल माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करने पर 15 दिवस के अंदर भुगतान किया जा सकेगा। विलम्ब से भुगतान होने पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

19. निविदाकर्ता द्वारा श्रमिक के नाम राज्य शासन/श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से कम का भुगतान नही किया जायेगा। समय–समय पर जारी निर्देशानुसार परिवर्तनशील होगा।

20. कार्यादेश अनुसार निर्धारित स्थल श्रमिक को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा/कार्य स्थल में अनुपस्थिति की दशा में उसकी पारिश्रमिक कटौती के साथ–साथ चेतावनी शुल्क प्रति श्रमिक रू 100/– (सौ रूपये) संबंधित (फर्म) एजेंसी से कटौती की जावेगी।

21. आवश्यकता होने पर अतिरिक्त श्रमिक की तत्काल व्यवस्था निविदाकार के द्वारा करना अनिवार्य होगा।

22. ठेकेदार को प्रतिमाह 5 तारिख तक श्रमिको के बैंक खाते में पारिश्रमिक का भुगतान एवं गत माह के EPF, ESIC तथा GST में अंशदान की राशि उक्त विभाग को प्रेषित कर/उचित माध्यम से श्रमिको को भुगतान कर उसकी स्वयं द्वारा सत्याापित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

23. विश्वविद्यालय नगर निगम बिलासपुर सीमा के अंतर्गत स्थापित होने से, पारिश्रमिक दर हेतु जोन 'ब' लागू होगा।

24. **फर्म के द्वारा सर्विस चार्ज उद्धरण करना अनिवार्य है, परन्तु सर्विस चार्ज शून्य (रूपये 0. 00) होने पर उसका निविदा निरस्त किया जायेगा।**

25. सर्विस चार्ज की दर पूर्ण रूपये में अंकित करना होगा, अन्यथा निविदाकार को अपात्र कर दिया जायेगा।

26. **एक से अधिक L-1 फर्म होने की स्थिति मे निम्न बिंदुओं के आधार पर फर्म को कार्यादेश जारी किया जा सकेगा।**

i - एक फर्म द्वारा केवल एक कार्य (उदाहरण के लिये हाउस किपिंग) का दर न्यूनतम दिया गया है जबकि दूसरे फर्म द्वारा दो या अधिक कार्य के लिये (उदाहरण के लिए हाउस किपिंग एवं सुरक्षा गार्ड दोनो में) न्यूनतम दर दिया गया हैं इस स्थिति में दूसरे फर्म को कार्यादेश दिया जायेगा।

ii - एक से अधिक फर्मो का दर समान होने पर विश्वविद्यालय प्रशासनिक सुविधा सुरक्षा को ध्यान मे रखकर उचित निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम एवं स्वतंत्र होगा जिस पर किसी भी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।

iii –इस विश्वविद्यालय में फर्म द्वारा पूर्व में कार्य किये होने पर विश्वविद्यालय से संतोषजनक कार्य किये होने का प्रमाणपत्र लगाया जाना अनिवार्य होगा।

iv – तथापि एक से अधिक L-1 होने की स्थिति में एक समिति के समक्ष सभी फर्म को अपना प्रस्तुतीकरण देना होगा तथा समिति कि आंकलन के आधार पर फर्म का चयन किया जायेगा।

27. **कार्यादेश जारी किये जाने के पश्चात सुरक्षा अधिकारी द्वारा Cross Check किया जायेगा, तथा कार्य संतुष्ट नहीं पाये जाने पर फर्म को नोटिस दिये जाने की आवश्यक कार्यवाहीं की जायेगी।**

28. ठेकेदार को प्रत्येक माह के 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से देयक निम्नांकित दस्तावेज (विगत माह का) सहित प्रस्तुत करना होगा।

   1. उपस्थिति पत्रक
   2. श्रमिकों को दी गई मासिक पारिश्रमिक का प्रमाण पत्र – बैंक स्टेंटमेंट आदि।
   3. EPF एवं ESIC के चालान

4. GST के चालान

उपरोक्त दस्तावेज के बिना देयक का भुगतान नही किया जायेगा तथा विलंब के लिये निविदाकर्त्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

कुलसचिव
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ, बिलासपुर

//घोषणा//

मैं पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ दिए गए समस्त नियम एवं शर्तें **सरल क्रमांक 01 से लेकर 28** तक का भली–भाँति अवलोकन उपरांत निविदा की दरें (समस्त करों सहित विश्वविद्यालय में पहुँचाकर एवं विश्वविद्यालय के समस्त नियम एवं शर्तों के साथ) भरी गयी हैं मुझे समस्त नियम एवं शर्तें मान्य एवं बंधनकारी है

निविदाकार के हस्ताक्षर (पद मुद्रा सहित)

निविदाकार का पूरा नाम ....

फर्म/कंपनी का नाम ....

G. S. T. क्रमांक ....

G. S. T. क्रमांक जिनके नाम पर प्रदान किया गया है, उसका पूरा नाम ....

कंपनी में उनका पदनाम ....

पता एवं दूरभाष/मोबाइल नंबर सहित ....

दिनांक .... हस्ताक्षर

स्थान .... फर्म की सील

पूर्व योग्यता जाँच सूची

क्र.	विवरण	हाँ	नहीं	पृ.क्र.
01	आयकर विवरणिका			
02	**G. S. T.** का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र			
03	सालवेंसी प्रमाणपत्र (न्यूनतम रू. 10 लाख)			
04	भविष्य निधि प्रमाण पत्र कोड सहित			
05	अनुभव प्रमाणपत्र			
06	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम			
07	एजेंसी की वार्षिक टर्न ओवर पिछले तीन वर्षो में औसत रू. 50 लाख प्रतिवर्ष रहने की सी.ए.से प्रमाणित अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति। (नमुना संलग्न)			
08	**ESIC** का पंजीयन प्रमाणपत्र			
09	अमानत हेतु निर्धारित राशि की डिमांड ड्राफ्ट जो कुलसचिव पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के नाम से देय हो संलग्न की जाए।			
10	जीवित लेबर लायसेंस प्रमाणपत्र			
11	दर अनुसूची			
12	छ.ग. मकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अनुसार पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र।			
13	छ.ग.राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियम) नियम 2008 के अनुसार पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र संलग्न करें। (पी.एच.क्यू.रायपुर द्वारा जारी)			
14	एजेंसी का गार्ड ट्रेनिंग सेंटर विवरण			

निविदाकार का हस्ताक्षर
फर्म का नाम
फर्म सील/स्टाम्प

दर–अनुसूची

महोदय,

1. आपके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में **उच्चकुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल** श्रमिक व्यवस्था संबंधी निविदा क्रमांक ....दिनांक ....के अनुसार समाचार पत्रों में निविदा प्रसारित की गई हैं। मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तुत की जा रहीं हैं। प्रस्तुत दरें केवल सर्विस चार्ज है।
2. मेरे/हमारे द्वारा अमानत राशि **रू. ....**–बैंक ड्राफ्ट क्रंमाक................................ दिनांक...............................बैंक...के माध्यम से जमा किया गया हैं, जो इस निविदा प्रपत्र के साथ जमा किया गया है।
3. मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दर भरा जा रहा है :–

क्रं	कर्मियों का नाम	अनुमानित संख्या	सर्विस चार्ज (राशि में) प्रति व्यक्ति/प्रति माह
01	**उच्च कुशल श्रमिक**	05	
02	**कुशल श्रमिक (आर्म्ड गार्ड, ड्राईवर इत्यादि)**	04	
03	अर्धकुशल श्रमिक	05	
04	**अकुशल श्रमिक** (सुरक्षा गार्ड, माली, हाउस कीपिंग, सफाई कर्मचारी, इत्यादि)	**सुरक्षा गार्ड** 36 हाउस किपिंग/सफाई कर्मचारी 40	

1. सर्विस चार्ज की दर पूर्ण रूपये में अंकित करना होगा, अन्यथा निविदाकार को अपात्र कर दिया जायेगा।

निविदाकार का हस्ताक्षर
फर्म का नाम पता फोन नं.
फर्म की सील/स्टाम्प

12, ... Choubey Colony, Raipur (CG)

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

On the basis of records and documents produced before it is hereby certify that Mahadev Enterprises (Prop: Naveen Agrawal (HUF) PAN – AAJHN4451K) Address- 27/480, Muskan, Baniya Para, PuraniBasti Raipur (C.G) had achieved following Turnover for the corresponding financial year.

S. No.	Financial Year	Turnover (Rs. in Lakh)
1	2019-2020	Rs. 75.45 L
2	2020-2021	Rs. 25.37 L
3	2021-2022	Rs. 31.15 L
	Grand Total	Rs. 131.97 L
	Average Turnover	Rs. 43.99 L

(Above Sr. No.1-2 are data as per Income Tax Returns and as per GSTR data Provided by the Management)

This certificate was issued on the specific request made by the party.

For Avinash Agrawal & Associates
Chartered Accountant
FRN -016671C

CA Avinash Agrawal
(Partner)
M.No. 409605

AGRAWAL & ASSOCIATES FRN-016671C CA AAWFA5420D RAIPUR

वास्ते, महादेव इंटरप्राईसेस
प्रोपराइटर

Place : Raipur
Date : 26/09/2022

Scanned with OKEN Scanner

A D Agrawal & Co.
Chartered Accountants

Ph. : 0771 - 4011334
Mob. : 98261-12600, 88176-25354
E-mail : adalegal@rediffmail.com

26

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

On the basis of records and documents produced before it is hereby certify that **M/S. Mahalaxmi Enterprises , Raipur (Prop** : Naveen Agrawal having (GSTIN - **22AFBPA2531G1ZE)** Address- Professor colony Raipur (C.G.) 492001 had achieved following Turnover for the corresponding financial year.

S.No.	Financial year	Turnover (Rs. In Laklhs)
1	2018-2019	Rs. 77.60 L
2	2019-2020	Rs. 68.78 L
3	2020-2021	Rs. 48.96 L
	Grand Total	**Rs. 195.34 L**

The above figures are as per the income tax Return dateand GSTR data provided by Management.

This certificate was issued on the specific request made by the party.

For,AD Agrawal & Company
Chartered Accountants
FRN 015397C

Khushbu

Place : Raipur

Date : 11/11/2021

CA Khushbu Bothra
(Partner)
Mem No. : 432455

Office : Naka Para Chowk, Bhatli Road, Ward No. 5, P.O Bargarh, Dist : Bargarh - 768 028 (Odisha)
C-3, 2nd Floor, Anuvrat Plaza, Nayapara, Opp Hotel Venkatesh International, Raipur - 492 001 (C G.)

वास्ते, महालक्ष्मी इन्टरप्राईजेस
प्रोपाईटर

Scanned with OKEN Scanner